



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-734

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 327832 दिनांक 24/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Lalit Kumar Meena S/o Shiv Singh	श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री हरसहाय शर्मा	40	116.12 SQ. METER	Private	GANPATI NAGAR	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना गणपति नगर के भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 31.07.2024 को श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री हरसहाय शर्मा के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2024 को श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री हरसहाय शर्मा के द्वारा श्रीमती तीजा मीना पत्नि श्री गुलाब चंद के हक में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.04.2025 को श्रीमती तीजा मीना पत्नि श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गुलाब चंद के द्वारा श्री ललित कुमार मीणा पुत्र श्री शिव सिंह के हक में कर दिया गया। प्रश्नगत भूखण्ड के मूल दस्तावेज बैंक में रहन है जिसके संबंध में आवेदक द्वारा एनओसी की प्रति अपलोड की गई है। आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Lalit Kumar Meena S/o Shiv Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।